छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771- 3057046, Fax No .0771- 2429385

पत्र क्रमांक : / 946 / विद्यो./दिशा–निर्देश/2018 रायपुर दिनांक : 24.10.18

प्रति,

प्राचार्य,

.... शा0उ0मा0वि0.........................

....

विषय :– **कक्षा 12वीं प्रायोजना कार्य/संबंधी दिशा–निर्देश विषयक्।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2019 से कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय के 03 ~~विषयों~~ लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र हेतु प्रायोजना कार्य के लिये दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

सत्र 2018–19 से कक्षा 12वीं में 07 विषयों (भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान, गणित, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र) में नवीन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें लागू की गई है। पाठ्यक्रम का अनुमोदन पूर्व में पाठ्यचर्या समिति द्वारा किया गया है। उक्त 07 विषयों में विज्ञान विषयों (भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान) में प्रायोगिक परीक्षा पूर्ववत् बाह्य परीक्षक की नियुक्ति कर करायी जायेगी। वाणिज्य संकाय के 03 विषयों (लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र) में प्रायोजना कार्य एवं मूल्यांकन कराया जाना हैं प्रायोजना कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है। प्रायोजना का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

परीक्षा योजना दिशा–निर्देश निम्नवत् है –

1. प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
2. विद्यालय स्तर पर विषय शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।
3. प्रायोजना कार्य दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किया जाये।
4. आंतरिक मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा बाह्य परीक्षक की नियुक्ति नहीं की जायेगी।
5. आंतरिक मूल्यांकन हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा उत्तरपुस्तिका नहीं दी जायेगी।
6. प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्यांकन पूर्णतः विद्यालय स्तर पर विद्यालयीन संसाधनों द्वारा किया जायेगा। अतः इन विषयों के लिये छात्रों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाये।
7. प्रत्येक विषय में प्रायोजना कार्य के मूल्यांकन के लिये निर्धारित कुल 20 अंक का विभाजन निम्नानुसार होगा–
   3. सत्रागत **किये गये प्रायोजना कार्य** एवं उस पर आधारित लिखित परीक्षा – **16**
   4. प्रायोजना पर आधारित मौखिक परीक्षा (Viva) – **04**
8. मूल्यांकन पश्चात् प्रायोजना के अंक 15 **जनवरी 2019 तक** मण्डल **के पोर्टल पर ऑनलाइन** प्रविष्टि की जाये।
9. विद्यार्थियों द्वारा किये गये सत्रगत कार्य का रिकार्ड विद्यालय में 01 वर्ष **तक सुरक्षित रखना होगा।**

उपरोक्तानुसार प्रायोजना कार्य का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

24.10.18

सचिव

छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर